

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-6009

दिनांक: 2-12-10

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 157वीं बैठक दिनांक 18.11.2010 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 157.1	कार्यकारी समिति की 156वीं बैठक दिनांक 21.10.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 156वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 157.2	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 04.10.10 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 04.10.10 की कार्योत्तर पुष्टि प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
3 157.3	शूटिंग रेन्ज में पौधारोपण कार्यों की दर संविदा की अवधि बढ़ाने हेतु।	प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। वरिष्ठ उद्यानविज्ञ ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में नवीन टेन्डर हेतु अभी वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जिससे टेन्डर नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। अतः वर्तमान संवदेक के रेट कान्ट्रैक्ट की अवधि को बढ़ाया जावे। विचार करने के उपरान्त वर्तमान रेट कान्ट्रैक्ट को 06.02.10 से 31.12.10 तक बढ़ाने का अनुमोदन किया गया।	व. उद्यानविज्ञ एवं उप वन संरक्षक	
4 157.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 228, 229, 230, 232, 281/587, 281/588, 281/589 किता 7 रकबा 2.37 हैक्ट., खसरा सुपर इम्पोज करने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 23130.00 वर्गमीटर में से प्रस्तावित 60 फीट सड़क सीमा में निहित होने वाली 463 वर्गमीटर जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 22667.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन किये जाने के संबंध में। (मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 228, 229, 230, 232, 281/587, 281/588, 281/589 किता 7 रकबा 2.37 हैक्ट., खसरा सुपर इम्पोज करने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 23130.00 वर्गमीटर में से प्रस्तावित 60 फीट सड़क सीमा में निहित होने वाली 463.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 22667.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 08.10.10 की पुष्टि की गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
5 157.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नेवटा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 749, 757, 775, 750, 741, 742, 752, 753, 754, 772, 755, 774, 747/1, 740, 758, 739, 756/1 किता 17 रकबा 6.14 हैक्ट. भूमि में से 30 मीटर चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 2548.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 58852 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन किये जाने के संबंध में। (मैसर्स सिद्धि विनायक अफोर्डेबल होम्स (पार्टनरशिप)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नेवटा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 749, 757, 775, 750, 741, 742, 752, 753, 754, 772, 755, 774, 747/1, 740, 758, 739, 756/1 किता 17 रकबा 6.14 हैक्ट. भूमि में से 30 मीटर चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 2548.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 58852.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 08.10.10 की पुष्टि की गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

27

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
6 157.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरू खुर्द तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 460 किता 1 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि में से 18 मीटर चौड़ी सड़क सीमा में निहित होने वाली 1830.96 वर्गमीटर, 12 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 1200 वर्गमीटर व 30 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 2154.96 वर्ग मीटर भूमि कुल 5185.92 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 32814.08 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन किये जाने के संबंध में। (मैसर्स शिवशक्ति रियलहोम प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरू खुर्द तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 460 किता 1 रकबा 3.80 हैक्टर भूमि में से 18 मीटर चौड़ी सड़क सीमा में निहित होने वाली 1830.96 वर्गमीटर, 12 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 1200 वर्गमीटर व 30 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 2154.96 वर्ग मीटर भूमि कुल 5185.92 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 32814.08 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 08.10.10 की पुष्टि की गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
7 157.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामला का बास तह. जयपुर के खसरा नम्बर 3 व 4 किता 2 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा अर्थात् 30857.20 वर्गमीटर भूमि में से 90 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 1012.50 वर्गमीटर, प्रस्तावित 12 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 135.00 वर्गमीटर एवं प्लांटेशन कॉरिडोर से प्रभावित 3225.00 वर्गमीटर कुल 4372.50 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 26484.70 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन किये जाने के संबंध में। (मैसर्स भैरव टाउनशिप प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामला का बास तह. जयपुर के खसरा नम्बर 3 व 4 किता 2 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा अर्थात् 30857.20 वर्गमीटर भूमि में से 90 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 1012.50 वर्गमीटर, प्रस्तावित 12 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 135.00 वर्गमीटर एवं प्लांटेशन कॉरिडोर से प्रभावित 3225.00 वर्गमीटर कुल 4372.50 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए शेष 26484.70 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 08.10.10 की पुष्टि की गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
8 157.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा तह. जयपुर के खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 किता 2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा. अर्थात् 25545.80 वर्गमीटर एवं खसरा सुपर इम्पोज करने के पश्चात् क्षेत्रफल 25254.68 वर्गमीटर भूमि में से 30 मीटर सेक्टर रोड सीमा में निहित होने वाली 540.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 24714.68 वर्गमीटर भूमि का (प्रश्नगत भूमि में से 11 के.वी. की एच.टी. लाइन को आवेदक के खर्च पर हटाने की शर्त पर) भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन किये जाने के संबंध में। (मैसर्स विन्कास एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा तह. जयपुर के खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 किता 2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 25545.80 वर्गमीटर एवं खसरा सुपर इम्पोज करने के पश्चात् क्षेत्रफल 25254.68 वर्गमीटर भूमि में से 30 मीटर सेक्टर रोड सीमा में निहित होने वाली 540.00 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 24714.68 वर्गमीटर भूमि का (प्रश्नगत भूमि में से 11 के.वी. की एच.टी. लाइन को आवेदक के खर्च पर हटाने की शर्त पर) भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना- 2011 के भू उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा, आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामे में लगाई गयी शर्तों के अधधीन जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के निर्णय दिनांक 08.10.10 की पुष्टि की गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

422


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9 157.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानपुर गेट तह. फागी के ख.न. 250/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 250/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख.न. 250/6 रकबा 18 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 19349 वर्ग मी. भूमि में से 48 मी. सड़क सीमा में निहित होने वाली 1400 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 17949 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मानपुर गेट तह. फागी के ख.न. 250/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 250/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख.न. 250/6 रकबा 18 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 19349 वर्ग मी. भूमि में से 48 मी. सड़क सीमा में निहित होने वाली 1400 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 17949 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
10 157.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3, 4/847, 5, 12/807, 13, 14, 17, 8, 10, 11, 12, 15, 16, किता 13 रकबा 7.85 हैक्ट. एवं ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तह. सांगानेर के ख.नं. 339, 344, 345, 348, 347, 341, 343 किता 7 रकबा 4.09 हैक्ट. दोनो ग्रामो के कुल किता 20 रकबा 11.94 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	राजस्व ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3, 4/847, 5, 12/807, 13, 14, 17, 8, 10, 11, 12, 15, 16, किता 13 रकबा 7.85 हैक्ट. एवं ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तह. सांगानेर के ख.नं. 339, 344, 345, 348, 347, 341, 343 किता 7 रकबा 4.09 हैक्ट. दोनो ग्रामो के कुल किता 20 रकबा 11.94 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की 152वीं बैठक में रखा गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में सड़क सीमा में निहित होने वाली 9109.00 वर्गमीटर भूमि का सहवन से अंकन हो गया था। विचार विमर्श पश्चात् सड़क सीमा में निहित होने वाली 9109.00 वर्गमीटर के स्थान पर 2928.00 वर्गमीटर भूमि पढा जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
11 157.11	Approval of Tender for the work of "Construction of 224 Nos LIG Houses on Govt. land at Sram Vigar Scheme, JDA, Jaipur (Phase-II")	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे, तथा मिटिंग से पूर्व जिन-जिन स्थानो पर ट्रैफिक ड्राईवर्जन किया जाना है, वहां Traffic Census (यातायात गणना) की जावे और ऐलिवेटेड रोड की उपयोगिता पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जावे।	Exe. Eng. (Project-5)	

७२२

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
12 157.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के ख.नं. 132, 133, 130/1164, 131/1165, 126, 127, 129, 130, 131 किता 9 रकबा 2.34 हैक्ट. भूमि में से सडक सीमा में निहित 640.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 22760.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् पूर्व में प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सडक की चौड़ाई ग्लोबल ट्रस्ट ऐज्यूकेशन इनोवेशन प्रा.लि. के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 09.09.09 के अनुसार 80 फीट चौड़ी सडक नियोजित कर सैक्टर प्लान में समायोजित करते हुये सैक्टर प्लान अनुमोदन के निर्देश प्रदान किये गये थे। अतः राजस्व ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के ख.नं. 132, 133, 130/1164, 131/1165, 126, 127, 129, 130, 131 किता 9 रकबा 2.34 हैक्ट. भूमि में से सडक सीमा में निहित 640.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 22760.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	
13 157.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नम्बर 546 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 547 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 551 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 549 रकबा 3.79 हैक्ट. ख.नं. 567 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 569 रकबा 3.56 हैक्ट. ख.नं. 548 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 559 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 560 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 561 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 562 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 563 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 564 रकबा 3.32 हैक्ट. ख.न. 566 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 15 रकबा 23.90 हैक्ट. मे से ख.नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 546 रकबा 1.26 हैक्ट. कुल योग 2.33 हैक्ट. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित भू-पट्टी क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर एवं ख.नं. 571 को सडक सम्पर्क दिये जाने हेतु 30 मीटर चौड़ाई की सडक में आने वाले क्षेत्रफल लगभग 1.0 हैक्ट., प्लान्टेशन कोरिडोर से प्रभावित भूमि 2472.75 व.मी. कुल रकबा 3.61 हैक्ट. भूमि को कम करते हुये शेष 20.29 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नम्बर 546 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 547 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 551 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 549 रकबा 3.79 हैक्ट. ख.नं. 567 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 569 रकबा 3.56 हैक्ट. ख.नं. 548 रकबा 2.53 हैक्ट. ख.नं. 559 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 560 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 561 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 562 रकबा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 563 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 564 रकबा 3.32 हैक्ट. ख.न. 566 रकबा 0.20 हैक्ट. कुल किता 15 रकबा 23.90 हैक्ट. मे से ख.नं. 607 रकबा 1.07 हैक्ट. ख.नं. 546 रकबा 1.26 हैक्ट. कुल योग 2.33 हैक्ट. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित भू-पट्टी क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर एवं ख.नं. 571 को सडक सम्पर्क दिये जाने हेतु 30 मीटर चौड़ाई की सडक में आने वाले क्षेत्रफल लगभग 1.0 हैक्ट., प्लान्टेशन कोरिडोर से प्रभावित भूमि 2472.75 व.मी. कुल रकबा 3.61 हैक्ट. भूमि को कम करते हुये शेष 20.29 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	

27/11/20

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
14 157.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 788, 802, 803, 815, 800, 801/1689 किता 17 रकबा 7.52 हैक्ट. भूमि का भू-उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 786, 788, 802, 803, 815, 800, 797, 798, 799, 811, 821, 815/1714, 816/1715, 166, 371, 388, 801/1689 किता 28 रकबा 13.59 हैक्ट. भूमि का भू-उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट कार्यकारी समिति की 133वीं बैठक में रखा गया था। प्रस्तुत एजेण्डा नोट का कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.09.08 द्वारा 13.59 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि भू-उपान्तरण योग्य आवेदित भूमि किता 17 रकबा 7.52 हैक्ट. है। अतः विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में पूर्व कार्यकारी समिति के निर्णय में अंकित भूमि के कुल खसरे 28 क्षेत्रफल 13.59 हैक्ट. के स्थान पर ख.नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 788, 802, 803, 815, 800, 801/1689 किता 17 रकबा 7.52 हैक्ट. का दुरुस्तीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	


 सदस्य सचिव
 कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 2-12-18

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी- 60/0
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 157वीं बैठक दिनांक 18.11.10 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती सूचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (अभियंत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.के. माथुर	X EW (CDII)	JVVNL	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री प्रेम चगुलानी	S.E. PWD City Circle Jaipur	PWD City Circle Jaipur	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
8	श्री दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री जे.पी. सिधल	S.E.-Pr.-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री एम.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री राकेश शर्मा	ओएसडी (आरएम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया	ओएसडी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्रीमती आशा अवस्ती	उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर